NIC- 1241

संख्या 693 / XII /2005/90 (44)/2004

प्रेषक

पी0 के0 महान्ति
सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में

1.समस्त अध्यक्ष
जिला पंचायत उत्तरांचल .
2.समस्त मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत उत्तरांचल .

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग :देहरादून: दिनांक 25 फरवरी,2005

विषय:-उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता .

महोदय

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ उत्तरांचल देहरादून के पत्र संख्या 826/ पंचायत प्रकोष्ठ/2004-05, दिनांक 01.10.2004 एवं वित्त विभाग उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 692/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 11 फरवरी, 2003 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल क्षेत्र के समस्त जनपदों की जिला पंचायतों मे कार्यरत पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्न तालिका में प्रदर्शित वेतन स्लैब के समक्ष इंगित दर पर पर्वतीय विकास भत्ता तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

वेतन स्लैब	पर्वतीय विकास भत्ता की दर(रुपये प्रतिमाह)	
	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
01	02	03
3000 से कम	90	50
3000 से 4499	125	70
4500 से 5999	215	125
6000 से अधिक	270	160

2. वेतन का मूल तात्पर्य उस मूल वेतन से होगा जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम -9(21) (1) में परिभाषित है .

3. उक्त भत्ता हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:-

(क) पर्वतीय क्षेत्र:- जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल के 1500 फीट तथा इससे अधिक ऊँचाई के क्षेत्र .

(ख) मैदानी क्षेत्र:- जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल के 1500 फीट से कम ऊँचाई वाले क्षेत्र .

4. उक्त पर होने वाला व्यय जिला पंचायत की जिला निधि से वहन किया जायेगा .

5. उक्त दरों पर भुगतान से पूर्व जिला पंचायत की शासी निकाय की बैठक में इसका अनुमोदन करा लिया जायेगा .

6. उक्त दरों का भुगतान उन्हीं जिला पंचायतों /जिला परिषदों द्वारा अपने संसाधनों से ही किया जायेगा जो अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने मे सक्षम हो . उक्त बढ़ी हुई दर के भुगतान हेतु शासन द्वारा अतिरिक्त रूप मे कोई अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा.

क्रमशः.....2....

7. उक्त दरों पर भुगतान किये जाने की स्थिति में जिला पंचायत की आय के 70 प्रतिशत भाग तक ही अधिष्ठान व्यय को सीमित रखा जायेगा .

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 398 /वि0अनु0-3/2004 दिनांक 22 फरवरी, 2005 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं .

(पी0के0महान्ति)
सचिव

संख्या 693 / XII /2004/90 (44)/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन ।
2. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तरांचल देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल ।
4. उप निदेशक,पंचायत प्रकोष्ठ,पंचायती राज निदेशालय उत्तरांचल देहरादून .
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन ।
7. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत उत्तरांचल ।
8. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0पी0जोशी)
उप सचिव